

आर्थिक विकास : लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण**डॉ. ज्योति कुमारी**

अतिथि अध्यापक

म.गा.फ्यू.गु.अध्ययन केंद्र

महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

ईमेल: jyotikumari2601@gmail.com**शोध सारांश**

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार आर्थिक विकास एक बड़ी चिंता बनी। यह युग यूरोपीय उपनिवेशवाद का समाप्ति का युग था। उपनिवेशवाद के अंतिम दौर में ही विश्व के देशों को विकसित और अविकसित देश की संज्ञा दी गई। इस युग को देशों के बीच अर्थव्यवस्थाओं की तुलना का युग बताया गया। कई देशों की अपेक्षा कुछ देशों को कम जीवन स्तर वाला देश माना गया। जैसे कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अविकसित समझा गया, अधिकांश पूर्वी यूरोपीय देश को पश्चिमी यूरोप की तुलना में कम जीवन स्तर वाला देश घोषित किया गया। सोवियत संघ, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसा देशों की तुलना एक दूसरे से की गई। देशों के तुलनात्मक अध्ययन में देखा गया कि जो गरीब देश अपने जीवन स्तर को बाद के दशकों में बढ़ाना शुरू किया, उन्हें विकासशील देशों का नाम दिया गया।

प्रस्तावना

देशों के विकास की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। फिर भी विकास की परिभाषा में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को केंद्र में रखा गया है। आमतौर पर आर्थिक विकास देश के प्रति व्यक्ति आय के मानदंड द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह देश के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने पर जोर देता है। इस संबंध में यह भी माना जाता है कि यदि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है तो यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी सबल हो रहा है।

60 के दशक तक अधिकांश देशों ने आधुनिकीकरण सिद्धांत को अपनाते हुए औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। इसी दशक में मानव को पूंजी के रूप में देखा जाने लगा। अब मानव अन्य संसाधनों की तरह एक संसाधन के रूप में विकसित होने लगा। मानव संपत्ति जैसा ही भौतिक संपत्ति की एक निवेश जैसी कोई चीज बन गई। वैसे ही किसी भी अर्थव्यवस्था के निवेश की पहचान में निवेश का प्रकृति आधार का अंतर धुंधला गया। इसमें औद्योगिक व्यवस्था मॉडल का तर्क था कि भले ही उत्पादक क्षमता का प्रमुख स्रोत प्रकृति में मौजूद संसाधन में है, परंतु लोगों की क्षमता के बिना कोई भी उत्पाद संभव नहीं है। इसलिए, इस मॉडल के अंतर्गत मानवीय संसाधन को केंद्र में रख कर मानव संपत्ति (human capital) को विकसित करने के लिए रणनीतियाँ बनाई गईं। इस दशक में यहाँ मानव को संपत्ति के रूप में विकसित किया जा रहा है वही द्वितीय विश्व युद्ध से चली आ रही महिला आंदोलन ने महिला आंदोलन और लैंगिक समानता के बढ़ावा पर जोर दिया। 'सशक्तिकरण' शब्द को आज पूरी

दुनिया में अक्सर सुना जाता है। यह शब्द 'पावर' शब्द से सीधे जुड़ा हुआ है। मानव समाज के संदर्भ में, इसका अर्थ है संसाधनों पर नियंत्रण। संसाधन प्राकृतिक संसाधनों, वित्तीय संसाधनों और मानव संसाधनों जैसे कौशल, श्रम या बौद्धिक संसाधनों सहित सूचना, विचार और ज्ञान आदि के रूप में हैं। (Boudreau & Ramstad, 2007) शक्ति व्यक्ति या लोगों के समूहों के बीच संबंधपरक गतिशीलता है और अक्सर असमान रूप से वितरित की जाती है। परिणामस्वरूप यह असमानता और भेदभाव को उत्पन्न करती है। कई बार विशेष परिस्थितियों में यह शोषण के साथ वर्चस्व भी कायम करती है।

विवेचन

किसी भी क्षेत्र के सशक्तिकरण की संभावना दो विचारों पर निर्भर करती है। सबसे पहले, सशक्तिकरण में यह विचार निहितार्थ है कि सशक्तिकरण तब संभव हो सकता है जब शक्ति में बदलाव हो। यदि शक्ति नहीं बदल सकती, तो सशक्तिकरण संभव नहीं है, न ही सशक्तिकरण किसी भी अर्थपूर्ण तरीके से बोधगम्य हो सकती है। यदि शक्ति बदल सकती है, तभी सशक्तिकरण संभव है। दूसरा, सशक्तिकरण की अवधारणा इस विचार पर निर्भर करती है कि शक्ति का विस्तार हो सकता है। दूसरा बिंदु शक्ति के विचार के बजाय शक्ति के सामान्य अनुभवों को दर्शाता है। इस दृष्टिकोण से सशक्तिकरण बहुआयामी, सामाजिक और एक प्रक्रियागत अवधारणा बन जाती है। (Eskes et al., 1998) इस अवधारणा में सशक्तिकरण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और अन्य आयामों के भीतर जैसे व्यक्तिगत, सामूहिकता और समुदाय में घटित होता है। सशक्तिकरण विभिन्न स्तरों के संबंध को परिलक्षित करती है। यही संबंध किसी व्यक्ति या समूह के लोगों को एक विशेष स्थिति में शक्ति और प्रस्थिति प्रदान करती है। जिससे किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय और वर्ग को योग्य और सक्षम बनाता है।

लैंगिक समानता जिसे लैंगिक समानतावाद अर्थात् किसी व्यक्ति के लिंग की परवाह किए बिना समता की स्थिति में लाना है। लिंग के आधार पर किसी भी समाज के विभिन्न व्यवस्थाओं और उप-व्यवस्थाओं के आधार पर अलग-अलग भूमिका और व्यक्तियों की स्थिति की प्रवृत्ति को संबोधित करती है। यही भूमिकाएँ लिंग पहचान का प्रकटीकरण है। इस तरह भूमिका निर्वाह लैंगिक अस्तित्व की व्याख्या में एक व्यापक स्पेक्ट्रम का विस्तार करती है। विकासवादी मनोविज्ञान मानता है कि लिंग किसी व्यक्ति के जैविक ढांचा है। लिंग स्वयं में एक सम्पूर्ण अर्थ को संदर्भित करते हुए सार्वभौमिक समानता को दर्शाता है। जबकि लैंगिक असमानता सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के निर्माण में सामाजिक मानदंडों के अनुरूप व्यक्तियों को असमान भूमिकाओं में बांटाता है। सामाजिक मानदंडों में निहित भूमिकाओं को दूर करने के प्रयासों में मुख्य रूप से समानता नीति के दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी के तहत लिंग की मुख्यधारा के अवधारणात्मक बोध (conceptual cognition) में योजनागत और संगठनात्मक नीतियों के कार्यान्वयन में लैंगिक मुद्दों को व्यवस्थित रूप में समावेश किया गया है।

लैंगिक असमानता के स्वरूप में पेशेवर असमानता एक प्रमुख बहस है, जहां देश को विशेष प्रावधान और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की स्थितियों में लैंगिक बराबरी के लिए अर्थ लाभ को दिए जाने पर लगातार ही विचार और कार्य किए जा रहे हैं। जिनका उद्देश्य किसी महिला को रोजगार में सफलता की संभावना को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट प्रावधान करना है। विशिष्ट सुरक्षा अधिकार के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का

प्रावधान किया गया। 1963 में राष्ट्रपति जॉन. एफ. कैनेडी द्वारा समान वेतन अधिनियम लागू किया गया और भारत में समान वेतन अधिनियम, 1976 लागू हुआ। इसके अलावा भारत में अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, मेडिकल टर्मेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम 1987, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण अधिनियम 2013 आदि लागू हैं। इसलिए जब भी महिला सशक्तिकरण में अधिकार की बात होती है तो समान वेतन का अधिकार, कार्य-स्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून और संपत्ति पर अधिकार को केंद्र में होता है। (Arora, 2012)

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में तीसरा लक्ष्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जो महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरी, कौशल, निर्णय लेने का अधिकार, बेहतर जीवन स्तर और सम्मान के अपने अधिकारों के साथ सशक्त बनाने का प्रयास करती है। इसी के तहत महिला अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रमुख जिम्मेदार कारक बन जाती है। हालाँकि यह देश की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक और साथ ही मात्रात्मक सुधारों को दर्शाता है। आर्थिक विकास का सिद्धांत केवल प्रति व्यक्ति आय से ही संबन्धित नहीं है वरन आर्थिक कल्याण के अन्य उपायों, जैसे जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, और साक्षरता दर के साथ से संबद्ध है। जैसे कि पोषण की स्थिति और अस्पताल के बेड, चिकित्सकों और अन्य व्यावसायिक व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी प्रति व्यक्ति आय के स्तर से निकटता से संबंध रखता है। भौतिक अर्थों में प्रति व्यक्ति आय के स्तर की व्याख्या को इस अभिमत के साथ स्वीकार किया जा सकता है कि व्यक्ति का जीवन स्तर केवल प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि प्रति व्यक्ति उपभोग पर निर्भर करता है। (Rao, 2005) क्योंकि राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा खपत से अन्य उद्देश्यों के लिए विस्तारित किया जाता है। यहाँ रेखांकित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा केवल पुरुष ही नहीं है बल्कि महिलाएं भी हैं। इसलिए सरकारी नीतियों में आर्थिक अवसरों, संसाधनों और परिसंपत्तियों के उपयोग तथा नियंत्रण में महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) खाद्य सुरक्षा में सुधार, गरीबी को कम करने और सतत कृषि विकास के प्रयासों में महिलाओं और पुरुषों की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने देता है। एफएओ यह मानता है कि लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण के बिना, खाद्य सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुरुषों और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के समर्थन में लक्षित हस्तक्षेप को सक्षम बनाने के लिए एफएओ डेटा के उत्पादन और विश्लेषण के लिए उपकरण, दिशानिर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करता है। (Food and agriculture organization of the United Nations., 2021) एफएओ के सदस्य देशों के बीच तकनीकी क्षमता का निर्माण करती है ताकि ग्रामीण लैंगिक मुद्दों का विश्लेषण किया जा सके और उन्हें नीति और कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। यह ग्रामीण महिलाओं को कृषि और आजीविका संबंधी कौशल को मजबूत करने के लिए काम करता है। साथ ही सभी स्तरों पर निर्णय लेने में ग्रामीण महिलाओं की समान भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य देशों की सहायता, लिंग-

संवेदनशील राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय कृषि नीतियों के निर्माण का समर्थन करता है। एफएओ सूचना और संचार नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को जोड़ता है और ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान देने वाली प्रथाओं को विकसित करता है। (Food and agriculture organization of the United Nations, 2021)

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वायत्तता, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय बहस में यह निकाल कर आया कि वैश्विक सतत विकास के लिए उत्पादकता तथा देशों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में महिलाओं और पुरुषों दोनों की पूर्ण भागीदारी की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चों की देखभाल और पालन-पोषण और घर के रखरखाव के लिए साझा जिम्मेदारियां शामिल हैं। दुनिया के सभी हिस्सों में, काम के बोझ तथा शक्ति और प्रभाव की कमी के परिणामस्वरूप महिलाओं को अपने जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम औपचारिक शिक्षा मिलती है और साथ ही, महिलाओं का अपना ज्ञान, क्षमताएं और मुकाबला करने के तंत्र अक्सर अज्ञात रह जाता है। शक्ति संबंध जो महिलाओं के स्वस्थ और पूर्ण जीवन की प्राप्ति में बाधा डालते हैं, वे समाज के कई स्तरों पर संचालित होते हैं। इसका फैलाव व्यक्तिगत से लेकर जनमानस तक देख जा सकता है। महिलाओं को दुनिया भर में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

विकासशील देशों में लड़कियों और महिलाओं को अक्सर लड़कों की तुलना में कम क्षमता वाला समझा जाता है। लड़कियों को स्कूल भेजे जाने के बजाय, उन्हें अक्सर घर पर घरेलू काम करने के लिए कहा जाता है या वयस्क होने से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। यह लैंगिक असमानता में एक बुनियादी मानव अधिकार का सवाल है। इसका मुख्य कारक गरीबी और निम्न उत्पादन क्षमता है। () महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में गरीबी उन्मूलन घरेलू व्यवसाय, कृषि, उद्यमियों या कर्मचारियों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। लैंगिक भेदभाव का मतलब है कि महिलाएं अक्सर असुरक्षित, कम वेतन वाली नौकरियों में सिमट कर रह जाती हैं, और वरिष्ठ पदों पर अल्पसंख्यकों में गिनी जाती है। यह भूमि और अन्य परिसंपत्तियों जैसी आर्थिक संपत्तियों तक पहुंच को कम करता है और आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों को आकार देने में भागीदारी को सीमित करता है। हालांकि महिलाएं घर का अधिकांश काम करती हैं, इसलिए उनके पास आर्थिक अवसरों के लिए अक्सर बहुत कम समय बचता है। इस परिदृश्य के परिवर्तन के लिए नीति और कार्यक्रम की आवश्यकता है।

कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करती हैं, जिसमें बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन और लैंगिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलनों की एक श्रृंखला शामिल है। ("Gender equality in employment," 2017) संयुक्त राज्य अमेरिका भी इन के अनुरूप महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करती है और लैंगिक समानता आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों में, संयुक्त राष्ट्र महिलाएं अक्सर जमीनी स्तर और नागरिक समाज

संगठनों के साथ जुड़कर, सबसे अधिक जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचती हैं। विशेष रूप से हाशिए के समूहों में ग्रामीण महिलाएं, घरेलू कामगार, कुछ प्रवासी और कम कुशल महिलाएं शामिल हैं। हमारा उद्देश्य उच्च आय, संसाधनों तक बेहतर पहुंच और नियंत्रण, और हिंसा से सुरक्षा सहित अधिक सुरक्षा है। ("Gender equality in employment," 2017) आर्थिक विकास के लिए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी करते हुए, महिलाओं की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में नौकरियों को सुरक्षित करने, संपत्ति में अधिकार, संस्थानों तथा सार्वजनिक स्थलों पर कार्य क्षमता को बढ़ावा देना हैं जो देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने प्रयास करती है।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 16 के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार निहित हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव सख्त वर्जित है। भारतीय महिलाओं को 1947 में भारत की स्वतंत्रता के दौरान सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त हुआ। इससे बहुत बाद कई अन्य देशों ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। भारत आधुनिक इतिहास का दूसरा देश था, जहां एक महिला नेता, इंदिरा गांधी, 1966 में एक अन्य दक्षिण एशियाई राज्य, श्रीलंका के बाद, चुनी गईं। भारत महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की पुष्टि करने के लिए भी एक ठोस प्रयास करता रहा है। इसने 1980 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए (CEDAW) और 1993 में कुछ आरक्षणों के साथ इसकी पुष्टि की। (Klasen, 2018), देश के भीतर दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 को दहेज और घरेलू हिंसा के मामलों को अपराध घोषित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए 2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश को भी 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया।

उपसंहार

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा सकते हैं। जो महिलाओं की सुरक्षित आजीविका और आर्थिक संसाधनों तक पहुंच में सुधार करे, गृहकार्य के संबंध में उनकी अत्यधिक जिम्मेदारियों को कम करे, महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्य को मापने और कार्रवाई करने के लिए वकालत करे ताकि महिलाएं और पुरुष इसे अधिक आसानी से भुगतान किए गए रोजगार के साथ जोड़ सकें। सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करे तथा शिक्षा और जन संचार के प्रभावी कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता बढ़ाए। इसके अलावा, महिलाओं की स्थिति में सुधार से जीवन के सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से कामुकता और प्रजनन के क्षेत्र में, सभी स्तरों पर उनकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि के लिए कार्य करे। जब महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक साथ कदम उठाए जाएंगे यही एक शांतिपूर्ण, समृद्ध विश्व स्थापना में सहायक होगा।

संदर्भ सूची



-
- Arora, R. U. (2012). Gender inequality, economic development, and globalization: A state level analysis of India. *The Journal of Developing Areas*, 46(1), 147-164. <https://doi.org/10.1353/jda.2012.0019>
 - Boudreau, J. W., & Ramstad, P. M. (2007). *Beyond HR: The new science of human capital*. Harvard Business Press.
 - Eskes, T. B., Duncan, M. C., & Miller, E. M. (1998). The discourse of empowerment. *Journal of Sport and Social Issues*, 22(3), 317-344. <https://doi.org/10.1177/019372398022003006>
 - Food and agriculture organization of the United Nations. (2021, January). *Gender | Food and agriculture organization of the United Nations*. Home | Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/gender/en/>
 - Food and agriculture organization of the United Nations. (2021, March). *Gender equality and women empowerment in food and agriculture | Flexible multi-partner mechanism (FMM) | Food and agriculture organization of the United Nations*. Home | Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/flexible-multipartner-mechanism/projects/project-detail/en/c/1253071/>
 - Gender equality in employment. (2017). *The Pursuit of Gender Equality*. <https://doi.org/10.1787/g261f892cc-en>
 - Klasen, S. (2018). The impact of gender inequality on economic performance in developing countries. *Annual Review of Resource Economics*, 10(1), 279-298. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100517-023429>
 - Rao, M. (2005). *Empowerment of women in India*. Discovery Publishing House.